झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–03/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–03/2019 के साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का आयोग कार्यालय में दिनांक–20.06.2019 से अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–22.06.2019 से साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथिवार पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपलोड है।

3. साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाह्न–10:00 बजे एवं साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न–9:30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, (विज्ञापन सं0–03/2019) के अभ्यर्थियों जिनसे विज्ञापन की कंडिका–12(P) के निदेशानुसार ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र के अनुरूप प्राप्त अभिलेख (Hard Copy) निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूची अनुसार **दिनांक–12.06.2019 अपराह्न 04.00 बजे** से अपना **रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर 0651–2213009 पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न–11:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

5. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण–पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तीन सेटों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:–

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 डिग्री का प्रमाण पत्र एवं सभी वर्षों का अंकपत्र।

(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा– एम0डी0, एम0एस0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री का प्रमाण पत्र, सभी वर्षों का अंकपत्र एवं उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सी0एच0 प्रमाण पत्र।

(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषयों में 03 (तीन) वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01 (एक) वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट संबंधी प्रमाण पत्र।

(v) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र।

(vi) जर्नल्स (झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल/ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल या किसी विदेशी मेडिकल जर्नल) में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।

(vii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संख्या–03/2019 में दिये गये निदेश के अनुरूप विहित प्रपत्रों में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना होगा। झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन में दिये गये निदेश के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में निर्देशित प्रमाण पत्र से अलग जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0

(viii) निःशक्त (Physically handicapped) जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों उन्हें विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग कार्यरत् चिकित्सकों के लिए अनिवार्य)।

(x) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

(xi) अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर ही अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाएगी।

7. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति (विज्ञापन संख्या–03 / 2019) हेतु आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार का कार्यक्रम।

1. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार का कार्यक्रमः–

क्र0सं0	अभिलेख सत्यापन की तिथि	पद का नाम	सीधी भर्ती (03 / 2019)	
			अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि
1.	20.06.2019	10-T.B. Chest	09	22.06.2019
		21-Blood Bank	18	
		22-Dermatology and Venereal Disease	09	
		23-Psychiatry	14	
2.	21.06.2019	01-Anatomy	28	23.06.2019
		03-Biochemistry	22	
3.	22.06.2019	04-Pathology	47	24.06.2019
		24-Physical Medicine and Rehabilitation	04	
4.	24.06.2019	02-Physiology	26	26.06.2019
		05-Microbiology	14	
		06-FMT	14	
5.	25.06.2019	07-Pharmacology	31	27.06.2019
		14-E.N.T.	23	
6.	26.06.2019	08-PSM	32	28.06.2019
		15-Ophthalmology	21	
7.	27.06.2019	11-Paediatric Disease	54	29.06.2019
8.	28.06.2019	13-Ortho	30	01.07.2019
		17-Radiology	09	
		18-Radiotherapy	16	
9.	29.06.2019	19-Anesthesia	53	02.07.2019
10.	01.07.2019	12-Surgery	46	03.07.2019
11.	03.07.2019	12-Surgery	46	05.07.2019
12.	05.07.2019	16-Gynaecology	62	07.07.2019
13.	06.07.2019	20-Dentistry	46	08.07.2019
14.	07.07.2019	20-Dentistry	46	09.07.2019
15.	08.07.2019	09-Medicine	46	10.07.2019

परीक्षा नियंत्रक,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।